न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला दूदू

पीठासीन अधिकारी :– श्री राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)
प्रार्थना पत्र संख्या :– 61/2023
निर्णय दिनांक :– 29.07.2024

1. संजू कंवर पत्नि सत्यनारायण जाति राजपूत आयु 50 वर्ष निवासी 12. श्री जनरल स्टोर नियर मेहन्दीपुर बालाजी टेम्पल, सुन्दर नगर, पुष्कर रोड, कोटडा अजमेर तहसील अजमेर जिला अजेमर राज.।

प्रार्थीनी

बनाम

1. भरतसिंह पुत्र गोपीसिंह जाति राजपूत निवासी हथेली तहसील फागी जिला जयपुर राज०
2. किशनसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत निवासी हथेली तहसील फागी जिला जयपुर राज०
3. सूरजकंवर पत्नि स्व. लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत निवासी हथेली तहसील फागी जिला जयपुर राज०
4. उर्मिलाकंवर पुत्री लक्ष्मणसिंह पत्नि सोहनसिंह जाति राजूपत हाल निवासी ग्राम पीपला भरतसिंह तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज०
5. कैलाशकंवर पुत्री लक्ष्मणसिंह पत्नि मक्खनसिंह जाति राजूपत हाल निवासी ग्राम सिरस तहसील निवाई जिला टॉक राज०
6. गजराजकंवर पुत्री लक्ष्मणसिंह पत्नि उम्मेदसिंह जाति राजूपत हाल ग्राम पापडदा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा राज०
7. गुमानकंवर पुत्री लक्ष्मणसिंह पत्नि रामसिंह जाति राजूपत हाल निवासी निवासी पेट्रोल पम्प के पीछे दूदू रोड मालपुरा जिला टोंक राज०
8. छोटा कंवर पुत्री लक्ष्मणसिंह पत्नि गोपालसिंह जाति राजूपत हाल निवासी ग्राम पीपला भरतसिंह तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज०
9. धपूकंवर पुत्री लक्ष्मणसिंह पत्नि राजेन्द्रसिंह जाति राजूपत हाल निवासी ग्राम पापडदा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा राज०
10. मानकंवर पुत्री लक्ष्मणसिंह पत्नि हरिसिंह जाति राजूपत हाल निवासी ग्राम ढाणी पुराहितान तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज०
11. तहसीलदार तहसील फागी जिला जयुपर

अप्रार्थीगण

उपस्थित विद्वान अधिवक्ता :– श्री विनय कुमार जैन वकील प्रार्थी
श्री गोविन्दसिंह पंवासर वकील अप्रार्थीगण
पैरोकार सरकार अप्रार्थी सं0 1

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

लगातार...........2

(2)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट
एवं 89 रा0का0अधि0 बाबत किये जाने दुरूस्ती तरमीम

निर्णय दिनांक: 29.07.2024

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 317/1 रकबा 0.1391 है०, खसरा नम्बर 317/2 रकबा 0.3035 है० एवं खसरा नम्बर 317/3 रकबा 0.1517 भूमि वाके ग्राम हथेली तहसील फागी जिला जयपुर राज० में स्थित है। आराजी खसरा नम्बर 317/1 रकबा 0.1391 है० भूमि अप्रार्थी स. 01 के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है एवं ख.नं. 317/2 रकबा 0.3035 है० भूमि अप्रार्थी सं. 2 लगा0 10 के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है एवं खसरा नम्बर 317/3 रकबा 0.1517 भूमि प्रार्थीया के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है। प्रार्थीया ने उक्त आराजी पूर्व खातेदार शत्रुघ्नसिंह से जरिये रजिस्ट्रर्ड विकय पत्र के कय की है एव कय के बाद अपनी आराजी पर प्रार्थीया विक्रेता की जगह शान्तिपूर्वक काबिज काश्त है। उक्त आराजी ख.नं. 317/1, 317/2 एवं 317/3 का मूल नम्बर 317 था। जो पक्षकारान की पैतृक आराजी है। जिसका आपस में सहमति से मौके पर कब्जे के अनुसार तकासमा होने पर उसके नये नम्बर 317/1, 317/2 एवं 317/3 बने तथा नक्शा में रंग भरने के अनुसार ही उक्त आराजी पर काबिज रहकर वर्षो से पक्षकारान काश्त करते आ रहे है। वरवक्त तकासमा मूल नम्बर के टुकडे नही कर सभी के नाम 317 मिन कर दिया गया एवं मौके पर कब्जे के अनुसार पक्षकारान काबिज चले आ रहे है। परन्तु नक्शा लट्ठा में उस समय कोई तरमीम नही की गई। अभी हाल ही में राज्य सरकार द्वारा DILRMP योजना के तहत सभी गांवों के भूमि में बिना तरमीम की भूमि की नक्शा लट्ठा में तरमीप कर दी गई । जिसमें पटवार हल्का ने 317 के नये नम्बर 317/1, 317/2 एवं 217/3 की तरमीम विपरीत एवं गलत कर दी। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। उक्त तरमीम मौके की वास्तविक स्थिति के विपरित जाकर करवाई गई है। जो दुरूस्त किये जाने योग्य है अभी हाल ही में दिनांक 24.07.2023 को अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थीया की आराजी में आकर कब्जा करने का प्रयास किया जब प्रार्थीया ने उसे रोका तों अ।ार्थी सं. 1 ने ऐलानिया धमकी दी कि उक्त जगह की मैने अप्रार्थी से 2 लगा० 10 के साथ मिलकर गलत तरमीम करवा ली है इसलिये तुम लोग आज के बाद उक्त जगह पर मत आना एवं मैं इसी जगह पर कब्जा

लगातार.....3.

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

करूगां। जब प्रार्थीया ने पटवारी हल्का से बात की तो उक्त गलत तरमीम का पता लगा। जब प्रार्थीया ने इस सम्बन्ध में अप्रार्थी सं. 2 लगा० 10 से बात की तो उन्होंने भी तरमीम दुरूस्त करवाने से इंकार कर दिया। इसलिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। यह कि यदि अप्रार्थी सं. 1 लगा० 10 ने उक्त गलत तरमीम के आधार पर प्रार्थीया की जमीन पर कब्जा कर लिया या जबरन प्रार्थीया को बेदखल कर दिया तो प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति होगी। इसलिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। उक्त प्रकरण के निस्तारण का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार मान्य न्यायालय को प्राप्त हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण तलबी जरिये रजि0 एडी जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की और अधिवक्ता श्री गोविन्द सिंह पंवार ने वकालतनामा पेश किया।

अप्रार्थी सं0 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वाद तामिल भी हाजिर अदालत नही आये। अप्रार्थी सं0 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

अप्रार्थी सं0 11 की और से पैरोकार सरकार उपस्थित आये तथा जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। पैरोकार सरकार ने अपने जवाब के तथ्यों में बताया कि ग्राम हथेली तहसील फागी के खसरा नंबर 317/1, 317/2, 317/3 जमाबन्दीनुसार सही है। विभाजन होने के पश्चात ख0न0 317 का नक्शा लठ्ठा मे कोई तरमीम नही हो रखी है और वर्तमान मे नक्शा लठ्ठा जीर्ण – शीर्ण हो रखा है। राजस्थान सरकार की डीआईएलआरएमपी योजना के तहत नक्शे में 1–2–1 मैपिंग के तहत खसरा नं. 317 के बट्टे नं. 317/1, 317/2, 317/3 डाले गये है जो कि विभाजन पत्र के अनुसार सही नहीं है। अतः तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित है।

अप्रार्थी सं0 1 व 2 के अधिवक्ता ने जबाब नही देकर सीधी बहस करने का निवेदन किया। अप्रार्थी सं0 1 व 2 का जबाब बन्द किया गया।

बहस विद्वान अधिवक्तागण सुनी गयी। प्रार्थीया के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र तरमीम दुरूस्ती स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

अप्रार्थी सं0 1 व 2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की है।

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

लगातार..............4

बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तरमीम दुरूस्ती का प्रस्तुत किया गया है। उक्त विवादग्रस्त आराजी मूल ख0न0 317 का सहमति से बटवारा किया गया था। उक्त बटवारे के समय विवादग्रस्त आराजी की मुताबिक बटवारे अनुसार तरमीम नही की गई। अप्रार्थी संख्या 11 पैरोकार सरकार ने भी अपने जवाब में तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित है। अप्रार्थी सं0 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की है। उपरोक्त तथ्यो के प्रकाश मे न्यायालय प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खसरा नं. 317/1, 317/2, 317/3 भूमि वाके ग्राम हथेली तहसील फागी जिला दूदू मे स्थित आराजीयात की वर्तमान तरमीम को निरस्त किया जाकर मुताबिक तहसीलदार फागी की रिपोर्ट अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी दिये जाते है।

उपखण्ड अधिकारी फागी
सत्यमेव जयते
जिला – दूदू

निर्णय आज दिनांक 29.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

29/7/24

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला दूदू

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला – दूदू